न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

पत्रावली संख्या : 33/2017 प्रार्थना पत्र (खा.सु.अ.)

प्रेमचंद जैन, खाद्य सुरक्षा अधिकारी,कार्यालय संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं भरतपुर जोन भरतपुर।

आवेदक

बनाम

देवेन्द्र कुमार सिंघल पुत्र श्री विशम्बर दयाल सिंघल जाति वैश्य एफबीओ व मालिक फर्म शिवक्ति मावा भण्डार अटलबन्द भरतपुर जोन भरतपुर।

गैरसायल

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011.

उपस्थित :– 1. गैरसायल स्वयं

निर्णय

दिनांक : 22.11.2017

आवेदक द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विरूद्ध गैरसायल प्रस्तुत किया गया है। गैरसायल को नोटिस जारी किया गया। गैरसायल नियत दिनांक को उपस्थित। प्रार्थी उपस्थित नहीं। गैर सायल को इस्तगासा की देते हुये इस्तगासा में अंकित आरोप सुनाया गया कि दिनांक 28.4.2017 को प्रातः 11.15 ए0एम0 पर गैरसायल की फर्म शिवशक्ति मावा भण्डार का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण आम जनता के इस्तेमाल के लिए विक्रय हेतु एक लोहे की बाल्टी में लगभग 30 किलो खोया (मावा) संग्रहित पाया, जिसमें मिलावट/संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लिया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी गई। खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–359/एक्ट/2017/380 दिनांक 9.5.2017 द्वारा उक्त खोया (मावा) का नमूना अवमानक स्तर (Sub Standard) प्रकृति का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अवमानक स्तर का मावा आम जनता को विक्रय कर उक्त अधिनियम की धारा 26(2) का उल्लघंन किया गया है।

आरोपो को सुन व समझकर गैरसायल ने कथन किया कि प्रार्थी की दुकान में दूध विक्रेताओं से प्राप्त दूध को संग्रहण कर दूध से मावा आदि तैयार कर विक्रय किया जाता है। गैरसायल के द्वारा कोई मिलावट अपने स्तर से नहीं की गई है। विक्रय किये जाने वाले दूध से निर्मित मावा अवमानक पाया गया है। भविष्य में गैरसायल अधिक सजगता बरतते हुए दूध विक्रेताओं से सही दूध प्राप्त कर ही मावा आदि का विक्रय करेगा। गैरसायल की प्रथम गलती है। अतः गैरसायल के प्रति नरम रूख अपनाते हुए जुर्माना किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। गैरसायल के कथनों पर गौर किया। वक्त निरीक्षण दिनांक 28.4.2017 को गैरसायल की फर्म से आमजनता के विक्रय हेतु दूध से निर्मित खोया (मावा) का नमूना लिया गया है। जो खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस–359/एक्ट/2017/380 दिनांक 9.5.2017 में अवमानक स्तर (Sub Standard) का पाया गया है। गैरसायल के द्वारा स्वयं के स्तर पर मावा में कोई मिलावट नहीं करना तथा दूध विक्रेताओं से ही दूध क्रय कर मावा तैयार करना जाहिर किया है। उनके द्वारा भविष्य में अधिक सजगता से दूध क्रय किया जाना दौराने सुनवाई स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में गैरसायल भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता नहीं करने की चेतावनी दी जाती है। चूंकि गैरसायल के व्यापार परिसर पर 30 किलो ग्राम मावा ही वक्त जांच निरीक्षण संग्रहित पाया गया है, जो गैरसायल द्वारा दूध विक्रेताओं से दूध क्रय कर मावा तैयार किया गया है। गैरसायल के द्वारा उक्त अनियमितता प्रथम बार किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत गैरसायल के द्वारा की गई अनियमितता के आधार पर 3000/– रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। गैरसायल के द्वारा जुर्माना राशि रसीद संख्या 000084 दिनांक 22.11.2017 से जमा राजकोष की गई। कार्यवाही समाप्त की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार की जावे। पत्रावली बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दि. 22.11.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्याय निर्णायन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official